# न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर

**अपील/डिक्री/टीए/1442/2005/चूरू**

1– बोगीदेवी पत्नि मनफूल, जाति जाट निवासी रातुसर, तहसील सरदारशहर, जिला चूरू।

------ अपीलांट

**बनाम**

1– हुलासी पत्नि आदुराम, जाति ब्राह्मण निवासी गाजावास, तहसील तारानगर, जिला चूरू।
2– राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, सरदारशहर जिला चूरू।

----- रेस्पोडेन्ट
3– पार्वती पत्नि मनीराम, जाति ब्राह्मण निवासी कोहिणा, तहसील तारानगर, जिला चूरू।
4– शांति पुत्री स्व0 श्री बृजाराम, जाति ब्राह्मण, निवासी रातुसर, तहसील सरदारशहर, जिला चूरू।
5– सरस्वती पत्नि स्व0 श्री बृजाराम जाति, ब्राह्मण निवासी रातुसर, तहसील सरदारशहर, जिला चूरू।
6– मनीराम पुत्र धन्नाराम, जाति ब्राह्मण निवासी कोहिणा, तहसील तारानगर, जिला चूरू।

------तरतीबी रेस्पोडेन्ट्स

**खण्ड पीठ**
**श्री खजानसिंह, सदस्य**
**श्री सुरेन्द्र माहेश्वरी, सदस्य**

**उपस्थित**
(1) श्री मुकेश जैन, अभिभाषक अपीलांट।
(2) श्री दुनीचन्द, अभिभाषक रेस्पोडेन्ट सं0 1

**निर्णय** **दिनांक :–22.12.2022**

यह अपील धारा 224, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 (संक्षेप में अधिनियम) के अन्तर्गत विद्वान भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, बीकानेर द्वारा अपील संख्या 05/2002 में बउनवानी पार्वती देवी बनाम हुलासी पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 26–02–2005 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

2– प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि वादी/रेस्पोडेन्ट ने विद्वान परीक्षण न्यायालय सहायक कलक्टर, सरदारशहर के समक्ष एक वाद पत्र इस आशय का प्रस्तुत किया कि वादिनी के स्व0 पिता बृजाराम पुत्र रावताराम जाति ब्राह्मण निवासी रातुसर तहसील सरदारशहर के नाम कृषि भूमि खसरा नं0 50, 145, 159, 178 व 583 क्रमशः 13 बीघा 19 बिस्वा, 49 बीघा 15 बिस्वा, 23 बीघा, 12 बीघा 1 बिस्वा व 38 बीघा में से आधा हिस्सा भूमि खातेदारी की थी जो रोही मौजा रातुसर में स्थित है तथा इसी प्रकार रोही मौजा निमरासर में खसरा नं0 16 तादादी 36 बीघा 16 बिस्वा वादिनी के पिता श्री बृजाराम की खातेदारी में थी। वादिनी के पिता का स्वर्गवास हो चुका है तथा उसके कोई जायन्दा पुरूष संतान नहीं थी उनके कानूनी उत्तराधिकारी एवं जायज वारिस उनकी 3 पुत्रियां एवं वादिनी की मां है। वादिनी के पिता की मृत्यु के बाद उनकी खातेदारी कृषि भूमि का नामान्तरकरण हिन्दू उत्तराधिकार कानून के अनुसार वादिनी एवं प्रतिवादिनी सं0 1 से 3 के नाम बहिस्सा बराबर दर्ज होना चाहिए किन्तु प्रतिवादी सं0 3 ने अन्य उत्तराधिकारियों के हिस्से को हड़पने की नियत से उक्त प्रश्नगत भूमि की खातेदारी जरिये इंतकाल नं0 333 के केवल अपने नाम राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज करवा लिया जो कानूनन गलत होने से निरस्तनीय है। अतः उक्त प्रश्नगत भूमि में के अपने 1/4 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर प्रतिवादीगण को पाबंद किया जावें। वादपत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया जिन्होंने उपस्थित होकर जवाबदावा प्रस्तुत कर विशेष कथन किया कि वादिनी का दावा मुख्यतः पंजीकृत बयनामा दिनांक 29–05–1992 को निरस्त करवाने का है जबकि बयनामा निरस्तीकरण का दावा दीवानी न्यायालय के श्रवणाधिकार का होने से दावा हाजा के श्रवणाधिकार न्यायालय को प्राप्त नहीं होने से यह दावा चलने योग्य नहीं है। दावे व जवाबदावे के आधार पर प्रकरण में तनकियात कायम कर उनका विस्तृत विवेचन कर विद्वान परीक्षण न्यायालय ने अपने निर्णय दिनांक 31–08–2001 को दावा वादी डिक्री कर दिया गया जिस निर्णय व डिक्री से अप्रसन्न होकर अपीलांट ने विद्वान अपीलीय न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, बीकानेर के समक्ष प्रथम अपील प्रस्तुत की गई

जिसमें विद्वान अपीलीय न्यायालय ने उपस्थित अधिवक्ता अपीलांट की एकपक्षीय बहस सुनकर अपने निर्णय दिनांक 26–02–2005 से अपील अपीलांट खारिज कर विद्वान अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर के मु0नं0 122/98 में पारित अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री दिनांक 31–12–2001 को यथावत् रखा गया। इसी निर्णय व डिक्री दिनांक 26–02–2005 से व्यथित होकर अपीलांट ने यह द्वितीय अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की है।

3– अपील पर उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषकगण की बहस सुनी गई।

4– अपीलांट के विद्वान अभिभाषक ने अपील मीमों में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये तर्क दिये कि दोनों अधीनस्थ न्यायालयों के निर्णय न्याय, नियम एवं रिकार्ड के प्रतिकूल होने से निरस्तनीय है। विद्वान अधीनस्थ न्यायालयों ने इस तथ्य पर गौर नहीं किया कि रेस्पो0 सं0 5 के द्वारा जो भूमि जरिये बयनामों के दिनांक 29–05–1992 को बेची गई है वह कुल 62–17–00 भूमि बेची है तथा रेस्पो0 सं0 1 की अपने स्व0 पिता बृजाराम की कुल भूमि 105–03–10 में से 1/4 हिस्से में 26–06–00 भूमि आती है। इस प्रकार रेस्पो0 सं0 1 का हक व हिस्सा सुरक्षित होते हुए भी जानबूझकर अपीलांट को दावे में पक्षकार बनाये बिना विद्वान अधीनस्थ न्यायालय ने डिक्री पारित की है। अपीलांटा ने उक्त आरजी पार्वती पुत्री बृजाराम से खरीद की है जबकि पार्वती को श्रीमती सरस्वती बेवा बृजाराम ने बेची थी ये सभी तथ्य रेस्पो0 सं0 1 वादिनी को बखूबी मालूम था किन्तु उसके बावजूद भी अपीलांटा को दावे में पक्षकार बनाये बिना ही दावा डिक्री करवा लिया। अपीलांटा के हक में किया गया बयनामा ज्यादा से ज्यादा वादिनी हुलासी के हिस्से तक ही नल एण्ड वाईड करार दिया जा सकता था जबकि विद्वान विचारण न्यायालय ने सम्पूर्ण बयनामें को ही नल एण्ड वाईड करार दे दिया जो कि किसी भी रूप में सही नहीं माना जा सकता, उक्त तथ्य को भी विद्वान अपीलीय न्यायालय ने इग्नोर कर निर्णय पारित किया है। बहस जारी रखते हुए आगे कथन किया कि हस्तगत प्रकरण में दो अपीलों की आवश्यकता नहीं है क्योंकि विद्वान अपीलीय न्यायालय ने दोनों अपीलों का एक साथ निर्णय किया है। बोगीदेवी ने पार्वती देवी से आराजी

रजिस्टर्ड सैलडीड से खरीद की है। पार्वती की अपील से अपीलांट का कोई लेना देना नहीं है। भारमुक्त जमीन में से हिस्सा लेवें। बयनामें को निरस्त कराने का अधिकार राजस्व न्यायालय का नहीं है। अपीलांट को पक्षकार नहीं बनाया गया तथा न ही सुनवाई का अवसर मिला। विद्वान परीक्षण न्यायालय ने केवल 1/4 हिस्सा घोषित किया, बाकी पुत्रियों का क्या हुआ, कितना हिस्सा रहा कुछ नहीं लिखा। अतः अपील अपीलांट स्वीकार फरमायी जाकर विद्वान अपीलीय न्यायालय भू–प्रबंध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, बीकानेर द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 26–02–2005 एवं विद्वान सहायक कलक्टर, सरदारशहर द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 31–05–2001 निरस्त करने के आदेश न्याय हित में प्रदान करें तथा प्रकरण पुनः सुनवाई हेतु विद्वान परीक्षण न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जावें।

5– प्रत्युत्तर में विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट ने अपीलांट की बहस का विरोध करते हुए कथन किया कि विद्वान अपीलीय न्यायालय में अपीलांट द्वारा दो अपीलें प्रस्तुत की गई थी जबकि बोर्ड में अपीलांट द्वारा एक ही अपील प्रस्तुत की गई है जो मेन्टेनेबल नहीं है। अतः अपील अपीलांट खारिज की जावें।

6– हमने उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का अध्ययन एवं अवलोकन किया।

7– प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 151 जा0दी0 में रेस्पोडेन्ट का कथन है कि अपील मैन्टेनेबल नहीं है क्योंकि विद्वान अपीलीय न्यायालय द्वारा अपने निर्णय के साथ दो अपीलों का निर्णय किया गया है। एक अपील कानून बार्ड होने के कारण चलने योग्य नहीं होने से खारिज की जावें।

8– रेस्पोडेन्ट के उक्त कथन के संबंध में अपीलार्थी का कथन है कि विद्वान अपीलीय न्यायालय में उनके द्वारा अपील सं0 5/2002 उनवानी बोगीदेवी बनाम हुलासी पेश की गई थी, दूसरी अपील सं0 38/2001 तो श्रीमती पार्वती द्वारा पेश की गई थी जिससे उनका कोई लेना–देना नहीं था। विद्वान अपीलीय न्यायालय द्वारा दोनों अपीलों का निर्णय एक साथ किया गया है। अतः उनके द्वारा उनके हक को प्रभावित करने वाली अपील के निर्णय के विरूद्ध मण्डल में एक अपील पेश की गई है।

9– अपीलांट का उक्त कथन उचित है। विद्वान अपीलीय न्यायालय द्वारा दोनों अपीलों का निर्णय एक साथ कर दोनों अपीलें खारिज की गई हैं।

10– अतः अपीलार्थी द्वारा एक अपील प्रस्तुत करना उचित है।

11– अतः प्रार्थना पत्र धारा 151 जा0दी0 खारिज किया जाता है।

12– विद्वान सहायक कलक्टर, सरदारशहर ने अपने निर्णय व डिक्री दिनांक 31–08–2001 में वाद वादीगण डिक्री किया गया है।

13– विद्वान अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय भू–प्रबंध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, बीकानेर द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 26–02–2005 से अपीलांट की अपील पार्वती देवी आदि बनाम हुलासी देवी आदि एवं दूसरी अपील बोगीदेवी बनाम हुलासी देवी आदि निरस्त की जाकर विद्वान परीक्षण न्यायालय सहायक कलक्टर के मु0नं0 122/98 में पारित अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री दिनांक 31–08–2001 बहाल रखा है।

14– अपीलांट का अपील में मुख्य कथन है कि अपीलांटा ने उक्त आराजी प्रत्यर्थी सं0 3 पार्वती से दिनांक 05–02–1993 को खरीद की है जबकि पार्वती को प्रत्यर्थी सं0 5 श्रीमती सरस्वती बेवा बृजाराम ने बेची थी। ये सभी तथ्य रेस्पो0 सं0 1 वादिनी को बखूबी मालूम था किन्तु उसके बावजूद भी अपीलांटा को दावे में पक्षकार बनाये बिना ही दावा डिक्री करा लिया।

15– अपीलार्थी के उक्त कथन के संबंध में पत्रावली के अवलोकन से विदित होता है कि प्रत्यर्थी सं0 1 द्वारा दावा दिनांक 17–08–1992 को पेश किया गया। उस समय जिनका राजस्व रिकार्ड में अंकन था उन्हें पक्षकार प्रतिवादी के रूप में बनाया गया। अपीलार्थी का कथन है कि उसने जमीन दिनांक 05–02–1993 को क्रय की थी। यदि अपीलार्थी को दावे का ज्ञान था तो स्वयं भी पक्षकार बनने का प्रार्थना पत्र लगा सकता था जिसमें अपीलार्थी का उक्त कथन उचित नहीं ठहरता है।

जहां तक अपीलार्थी के अपील में अन्य आधार हैं। उनके संबंध में पत्रावली के अवलोकन से विदित होता है कि वादग्रस्त भूमिया वर्तमान प्रत्यर्थी सं01/वादिनी के स्व0 पिता श्री बृजाराम पुत्र रावताराम की खातेदारी की थी। यह बात वादिनी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजी साक्ष्यों (ई.एक्स. पी. 1, 2, 3 व 8) एवं पक्ष एवं विपक्ष के गवाहों पी.डब्ल्यू 1 से 5 व

डी.डब्ल्यू 1 से 3 के बयानों का अवलोकन से स्पष्ट साबित है। हिन्दू उत्तराधिकार कानूनी की धारा 8 के अनुसार एक हिन्दू पुरूष की मृत्यु पर उसकी निर्वसीयती सम्पति के उत्तराधिकारी अधिनियम की अनुसूची–1 में दर्शायें हैं। धारा 9 के अनुसार अनूसूची–1 के प्रथम वर्ग में विधवा पत्नि, पुत्री, पुत्र आते हैं और प्रथम वर्ग के उत्तराधिकारी अन्य वर्गो के उत्तराधिकारियों का अपवर्जित करेगें। इस प्रकार उपर्युक्त प्रावधान के अनुसार प्रकरण हाजा में स्व0 बृजाराम के प्रथम वर्ग के उत्तराधिकारी उसकी विधवा पत्नी (प्रतिवादी सं03) उसकी तीन पुत्रियां (वादिनी व प्रतिवादी सं0 1 व 2) है जिनको स्व0 बृजाराम की उक्त वादग्रस्त सम्पति समान रूप से अर्थात 1/4 भाग प्रत्येक को बंटना चाहिए किन्तु नामान्तरकरण सं0 333 द्वारा केवल स्व0 बृजाराम की विधवा प्रतिवादीनी सं0 3 के नाम ही स्व0 बृजाराम की सम्पूर्ण खातेदारी कृषि भूमि राजस्व रिकार्ड में दर्ज की गई है जो हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम, 1956 के प्रावधानों के विपरीत होने के कारण नामान्तरकरण सं0 333 खारिज योग्य है।

स्व0 बृजाराम की खातेदारी की कृषि भूमियों में उसकी पत्नि तथा 3 पुत्रियों का बराबर–बराबर 1/4–1/4 हिस्सा होने से श्रीमती सरस्वती पत्नी स्व0 बृजाराम को केवल अपना 1/4 हिस्सा ही बेचने का हक व अधिकार था। अपने हिस्से से अधिक अन्तरण की गई भूमि का विक्रय प्रभावशून्य है। जहां विक्रयपत्र प्रारम्भतः शून्य हैं वहां राजस्व न्यायालय को श्रवणाधिकार है।

जिससे स्पष्ट है कि विद्वान सहायक कलक्टर, सरदारशहर द्वारा विधिसम्मत रूप से दावा डिक्री किया गया है।

16– विद्वान अपीलीय न्यायालय द्वारा विस्तृत विवेचन करते हुए दोनों अपीलों का निर्णय एक साथ कर दोनों अपीलें खारिज कर सहायक कलक्टर, सरदारशहर का निर्णय दिनांक 31–08–2001 यथावत रखा है जो पूर्णतया विधिसम्मत है।

17– अतः उपरोक्त विवेचनानुसार अपील अपीलांट स्वीकार योग्य नहीं होने से खारिज की जाती है तथा विद्वान अपीलीय न्यायालय भू–प्रबंध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, बीकानेर द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 26–02–2005 एवं विद्वान सहायक कलक्टर,

सरदारशहर के निर्णय व डिक्री दिनांक 31–08–2001 यथावत रखें जाते हैं।

18– पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो।

आदेश खुले न्यायालय में सुनाया गया।

**(सुरेन्द्र माहेश्वरी)** **(खजान सिंह)**

**सदस्य** **सदस्य**